72

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

179

राजस्व पुनरीक्षण कमांक ................ / 2013–14 R 2544-II/14

रमेश गुप्ता तनय श्री लालमणि गुप्ता उम्र 25 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बेंदुआ थाना कोतवाली सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0.....

..........................................पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

विरूद्ध

1– मोतीलाल तिवारी तनय रामयश तिवारी उम्र 40 साल पेशा खेती निवासी ग्राम बेंदुआ थाना कोतवाली सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0

2– मध्यप्रदेश शासन ..................गैरपुनरीक्षणकर्ता अनावेदक

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय गिर्द प्रथम, तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 राजस्व प्रकरण कमांक– 48 / अ–12 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.4.14

पुनरीक्षण अन्तरगत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

## प्रकरण के तथ्य

1– यहकि प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक–1 मोतीलाल तिवारी द्वारा ग्राम बेंदुआ तहसील गोपदबनास जिला सीधी में स्थित आराजी खसरा कमांक 92 रकवा 0.07 हैक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदित भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया गया । राजस्व निरीक्षक के द्वारा सरहद्दी कृषक निगरानीकर्ता एवं अन्य सरहद्दी भूमिस्वामियों को सीमांकन की कोई सूचना दिये विना गैर निगरानीकर्ता मोतीलाल तिवारी के प्रभाव दबाव में आकर मनमानी प्रतिवेदन तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया । जवकि स्थल पर कभी कोई नाप जोख विधि के अनुसार सीमांकन हेतु विहित उपकरण का सहारा लेकर नहीं किया गया । यहां यह उल्लेखनीय है कि जिस दिनांक को सीमांकन किया जाना बताया गया है उस दिनांक को अत्यधिक वारिश भी हो

(73)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्र. निग.2544-II / 2014 जिला–सीधी

रमेश गुप्ता / मोतीलाल तिवारी

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, गिर्द प्रथम, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 48/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(बी.एम.शर्मा),<br>सदस्य | |